14.5.19 पत्रावली पेश। वकील वादीगण उपस्थित है। वादीगण के वादपत्र के कथन, वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोषादि एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण पर विचार किया एवं दौरान बहस उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया।

वादीगण द्वारा ग्राम चंचर की कृषि आराजी हाल खसरा नम्बर 2548 रकबा 1.46 हेक्टर जो जगन्नाथ पुत्र देवा अहीर के नाम पर दर्ज है, पर खाते-दारी स्वत्व: की घोषणा चाही है।

14/5/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्वत्व की घोषणा हेतु रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 9.4.96 का आलम्बन लिया गया है। अपने कथनों के समर्थन में वादीगण ने प्रदर्श-1 नकल जमाबंदी चैंचट सं. 2074-77 खाता नं. 214, प्रदर्श-2A रजि० वसीयत दि० 9.4.96 द्वारा जगन्नाथ पुत्र रेवा, वहक वादीगण सब रजिस्ट्रार चैंचट, नकल मिलान संवत 2004-2024 ग्राम चैंचट प्रदर्श-4 मृत्यु प्रमाण पत्र जगन्नाथ प्रदर्श-3 जारी दि० 12.11.10 ग्राम पंचायत चैंचट, शपथ-पत्र जगदीशचंद (वादी-1) कैलाश पुत्र प्रताप माली, प्रकाशचंद (वादी-2) प्रस्तुत किये गये है। राजस्व अभिलेख के रूप में मात्र प्रदर्श-1, प्रदर्श-4 है। वादपत्र में वांछित अनुतोष के आलंबन में मात्र रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 9.4.96 का आलम्बन है। उक्त वसीयत में दो गवाह है, (1) बालाराम पुत्र नंदा माली (2) बिरधीचन्द पुत्र लालचंद जैन, वादीगण द्वारा दोनों में से किसी भी गवाह को बतौर साक्षी पेश नहीं किया है। हालांकि रजिस्टर्ड वसीयतनामे की वैधता इस न्यायालय द्वारा परीक्षण नहीं की जानी है, किन्तु उक्त वसीयतनामे के आधार पर वादीगण को कितने	

14/3/24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

और कैसे स्वत्व वादगत भूमि पर प्राप्त हो सकते हैं? यह तय किया जाना नितान्त आवश्यक है।

वादीगण का कथन है कि वादगत भूमि के खातेदार जगन्नाथ उसके ताऊजी अर्थात पिता के भाई हैं तथा प्रतिवादी नम्बर 1 उसकी बहिन है। प्रकरण में वादीगण तथा प्रतिवादी नम्बर 1 आपस में सगे भाई बहिन हैं।

प्रकरण में वादीगण को वांछित अनुतोष देने से पूर्व यह तय किया जाना नितान्त आवश्यक है, कि वसीयत कर्ता की भूमि उसकी स्वार्जित संपत्ति है? या नहीं?

पत्रावली में वादीगण द्वारा ऐसा एक भी साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किया जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि वादगत भूमि मृतक जगन्नाथ की पैतृक संपत्ति नहीं होकर उसकी स्वार्जित संपत्ति हो ऐसी सूरत में यह भी तय नहीं किया जा सकता कि मृतक जगन्नाथ उसके खाते में दर्ज सम्पूर्ण भूमि को वसीयत के द्वारा वादीगण को दे सकता था या नहीं?

14/01/19

प्रकरण के गुणावगुण पर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सम्यक विवेचन एवं मननोपरान्त हम यह पाते हैं कि वादग्रस्त भूमि का आवंटित होना स्पष्ट प्रमाणित नहीं है। अतः दावा वादीगण साक्ष्याभाव में पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 14.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया। 14/5/19 (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	

Scanned by CamScanner

अंतिम डिकरी बमुकदमे ~~[illegible]~~

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी
ब इजलास चिमनलाल मीणा (R.A.S.)
जगदीश चन्द बनाम द्रोपती

दावा बाबत 88, 89, 188 R.T. Act 1955

मुकद्दमा नं. 217 सन् 2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू चिमनलाल मीणा (R.A.S.) ब हाजरी श्री हरवीरसिंह ए.डी.ओ. मिनजानिब मुद्दई व एक तरफा मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादीगण साक्ष्याभाव में पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

नीज — मुबलिग — बाबत —
खर्चा इस मुकद्दमे का मय सूद व शरह — फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 मई 05 2019 को जारी की गई।

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जो	
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील	
महनताना वकील			खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक	
मुतफर्रिक				
मीजान	—	—	मीजान ...	—

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner